न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—282/2017/225 (2017/00282)

1. घीसा पुत्र माधू जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीमड़ावास, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गीता पत्नि रामस्वरूप जाति जाट, निवासी ग्राम भीमड़ावास, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. रामरतन पुत्र जयकिशन,
3. रामगोपाल पुत्र जयकिशन,
4. रूपा पुत्री जयकिशन,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भीमड़ावास, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर
5. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा केकडी ।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
7. स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एण्ड बीकानेर शाखा केकड़ी, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 13.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 34/2015.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 7 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः— 3.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 13.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात ग्राम मीमड़ावास तहसील केकड़ी जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अजमेर में खसरा नंबर 214 रकबा 1.06 है0 स्थित है जिस पर रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काश्त करती चली आ रही है। रेस्पो0 संख्या 1 को अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी में आने जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है । रेस्पो0 संख्या 1 ने जब से अपने खातेदारी व काश्तकारी के अधिकार प्राप्त किये तब से अपने सामने की आराजी खसरा नंबर 191, 192, 193 की मेड़ से आती जाती है लेकिन प्रतिवादी/अपीलांट ने दिनांक 20.8.2015 को रेस्पो0 को खेत की मेड से आने जाने से रोक दिया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 191, 192, 193 की मेड़ की और 30 फीट चौड़ा आम रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध कराया जावे। अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 13.6.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने बस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलांट विवादित आराजी खसरा नंबर 191, 192, 193 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु अधी0न्याया0 ने खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने रास्ता के आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की केवल राजस्व अभियान में रास्ता स्वीकार करने का आदेश पारित किया है जबकि राजस्व अभियान में केवल आपसी सहमति या राजीनामा के प्रकरण का ही निस्तारण किया जाता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी पर आने जाने के लिए पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसका वह उपयोग उपभोग करता आ रहा है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 नवीन रास्ते का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर तथा धारा 251–ए की मंशा के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.10.2017 को उस समय हुई जब अप्रार्थी ने मौके पर आकर प्रार्थी को बताया कि रास्ता उसके पक्ष में स्वीकार हो गया है । जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 30.10.2017 को केकड़ी जाकर जानकारी की तथा नकल हेतु आवेदन दिनांक 30.10.2017 को पेश किया जिस पर नकल उसी दिन प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 अपीलांट

की आराजी खसरा नंबर 191, 192 व 193 की मेड़ से आते जाते रहे है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवागमन का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण किया है जिसमें अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना नहीं पाया है। बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रारंभ से थी क्योंकि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थिति प्रदान की है । इसलिये अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अधी0न्याया0 ने एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिससे उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2010 पेज 289 हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2019 पार्ट– 2 पेज 1098 अमरसिंह बनाम नोरंग के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में कथन किया है कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही एकतरफा में आदेश पारित किया है जिससे उन्हें निर्णय की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 17.9.2015 को प्रकरण दर्ज किये जाने के उपरांत अप्रार्थीगण/अपीलांट को नोटिस जारी किये गये थे जिस पर दिनांक 16.10.2015 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की और से श्री सांवरलाल जाट, प्रतिवादी संख्या 6 की और से श्री हेमन्त जैन एवं प्रतिवादी संख्या 7 की और से श्री पवन सिंह भाटी एडवोकेट ने पावर पेश किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में अपीलांट घीसा, रामरतन, रामगोपाल, रूपा, की तरफ से अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी, श्री महेन्द्र कुमार चौधरी एवं श्री ऊंकार जाट का वकालतनामा उपलब्ध है। जिससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा जारी नोटिस अपीलांट को तामील हो चुके थे । तत्पश्चात प्रकरण में लगभग 4 पेशियां तब्दील की गई किन्तु अपीलांट/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रकरणों का 90 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान किया गया है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब कर प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनकर दिनांक 13.6.2016 को प्रार्थना पत्र निर्णित किया है । अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधी0न्याया0 की संपूर्ण कार्यवाही की प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तथा अधी0न्याया0 के निर्णय के लगभग एक वर्ष उपरांत एक वर्ष के विलंब से हस्तगत अपील पेश की है । आर0बी0जे0 2010 (17) पेज 289 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " INDIAN LIMITATION ACT, 1963-Section 5- When there is no sufficient cause shown for not filing the appeal within time, delay of three days cannot be condoned. " अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे भी समुचित एवं ठोस कारण नहीं है । विलंब के संबंध में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये जाने से विलंब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा विलंब के संबंध में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाता है ।

8. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद मियाद बाहर पेश किये जाने से मियाद बिन्दु पर खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.6.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 3.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर